राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ......132...... बीकानेर /2011-12

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीरूधाराम भादू मेमोरियल एज्युकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी बीकानेर ...... जिला बीकानेर ......

का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 26 (छब्बीस) ...... माह 07 (जुलाई) ...... सन् 2011 ...... को बीकानेर ...... में दिया गया।

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

CENTRAL NOTARY * GOVT. OF INDIA *
Advocate
Brij Mohan Jakhar
BIKANER
Regd. 447-

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
बीकानेर

श्री रूधाराम भादू मेमोरियल एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी

संघ विधान पत्र

1. संस्था का नाम — श्री रूधाराम भादू मेमोरियल एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी

2. पंजीकृत कार्यालय व कार्यक्षेत्र — इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 11–ए जवाहर नगर, ... रोड, बीकानेर में रहेगा और इसकी शाखाएं ... में कहीं भी उपयुक्त स्थानों पर स्थापित और संचालित की जा सकेगी इस संस्था का कार्यक्षेत्र बीकानेर रहेगा।

3. संस्था के उददेश्य इस संस्था के निम्नांकित उद्‌देश्य होंगे।

1. इस संस्था का मुख्य उददेश्य ज्ञान प्रसार है जिससे कि चरित्र निर्माण द्वारा न्यायप्रिय, निर्भय, स्वस्थ एव प्रगतिशील नागरिक तैयार होवें तथा उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जावे जिससे कि वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन सुखमय बनावें तथा मानव कल्याण की ओर उन्मुख हो।
2. इस हेतु महाविद्यालय, विद्यालय, बहुउददेश्य विद्यालय, बैसिक विधालय, छात्रालय, पुस्तकालय, इत्यादि संस्थाओं का निर्माण करना।
3. जन–साधारण के हितार्थ पाठ्य पुस्तके तथा अन्य पुस्तके पत्रिकाऐं, परिपत्र आदि तथा अन्य नैतिक, दार्शनिक, औधोगिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक ,पुरातात्विक, यांत्रिक, सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक साहित्य, ज्ञान प्रसार हेतु प्रकाशित करना तथा खोज, अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
4. संस्था अपने उददेश्यों की पुर्ति हेतु शैक्षणिक, वैज्ञानिक तकनीकी एवं औधोगिक प्रशिक्षण कक्षाऐं चलाना और हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत माध्यम द्वारा शिक्षा प्रदान करना। जिसमें ग्रामीण, पिछडे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होनहार प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए विभिन्न विषयान्तर्गत्त जैसे कला, वाणिज्य, खनिज, विज्ञान, कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने और प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की प्राथमिक तैयारी करवाकर परीक्षा में बैठाने की पूर्ण व्यवस्था कर स्वय को स्वावलंबी बनाने का सुअवसर प्रदान करेगी। इसके लिये संस्था द्वारा एक या अधिक संस्थानों का संचालन करना जो संस्था के उददेश्यों की पूर्ति करेंगे।
5. सभी जाति, ग्रामीण पिछडे वर्गों के छात्र–छात्राओं के लिए:–
   (अ) छात्रावास का संचालन करना।
   (ब) छात्रवृत्तियां दिलाना व लेने के लिए प्रेरित करना।
   (स) स्वरोजगार दिलाने या प्रेरित करने का प्रयास करना।
   (द) उचित शिक्षा व प्रतिस्पर्धा परीक्षा दिलवाने व मार्गदर्शन, विद्यार्थीयों के लिए वाचनालय, पुस्तकालय खुलवाना व संचालन करना, प्रयोगशाला व अन्य विषयों की तैयारी करवाने व परीक्षाओं में बैठाने की समयानुसार व्यवस्था करना।

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

6. स्वच्छ एवं स्वस्थ मनोरंजन एवं स्वास्थ्य हेतु मनोरंजन केन्द्र, क्रीड़ा, प्रशिक्षण केन्द्र, व्यायामशाला, खेलकूद प्रतियोगिता केन्द्र का संचालन कर समाज के सभी वर्गो को लाभान्वित करना तथा उनके वांछित विकास हेतु विचार गोष्ठीं, वाद–विवाद, लेख प्रवृतियां, भाषण, प्रदर्शन, श्रव्य, दृष्य, प्रत्यक्ष कार्यानुभव करना व संचालन करना तथा कला व साहित्य का सक्षम समन्वय एवं लाभान्वित करना संस्था का उददेश्य रहेगा। इस प्रकार संस्था ग्रामीण पिछड़े, कमजोर एवं वांछितों को उक्त प्रकार लाभान्वित करके अच्छे स्वास्थ्य और मनोरंजन की व्यवस्था करेगी।

7. चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना एवं अन्य सभी कार्य जो संस्था जनहित व पिछडे वर्ग के हित के लिएं उपयुक्त समझेगी व बिना आयु ,वर्ग ,लिंग, जाति के करा सकेंगी।

8. समाज के सभी वर्गों को मेडिकल रीलिफ देना इसके लिये अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल कैम्प एवं शारीरिक, मानसिक शिक्षा हेतु व्यवस्था करके संचालन करना।

9. बालिकाओं व महिलाओं को कुशल गृहिणी तथा उद्बुद्ध नागरिक बनाने के लिए स्त्रियोचित शिक्षा का प्रबन्ध करना, तत् संबंधी शिक्षा देना।

10. योग्य, प्रतिभाशाली विद्यार्थीयों को उच्च शिक्षा, देश–विदेश में जाकर प्राप्त करने हेतु हर प्रकार का आर्थिक सहयोग देना।

11. संस्था उदेश्यों की प्राप्ति हेतु कोई भी सहायता किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति संस्था/सरकार/एजेन्सी/विदेशी संस्था/सरकार इत्यादि से प्राप्त कर सकेगी।

12. संस्था उदेश्यों की प्राप्ति हेतु कोई भी चल/अचल संपति अपने नाम से खरीद सकती है, दान में प्राप्त कर सकती है, किराये पर ले सकती है।

उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

CENTRAL NOTARY
Advocate
Brij Mohan Jakhar
BIKANER
Regd. 447
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है।

क्र.	नाम मय पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1	श्री दिनेश पुत्र श्री रामलाल	निजी व्यवसाय	11–अ जवाहर नगर, जैसलमेर रोड, बीकानेर	अध्यक्ष
2	श्री बाबुलाल कस्वां पुत्र श्री गणपतराम कस्वां	निजी व्यवसाय	डूडी पैट्रोल पम्प के पीछे बंगला नगर, बीकानेर	उपाध्यक्ष
3	श्री प्रदीप कस्वां पुत्र श्री गणपतराम कस्वां	निजी व्यवसाय	डूडी पैट्रोल पम्प के पीछे बंगला नगर,, बीकानेर	मंत्री
4	श्री प्रकाश पुत्र श्री रामदयाल	निजी व्यवसाय	11–अ जवाहर नगर, जैसलमेर रोड, बीकानेर	कोषाध्यक्ष
5	श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री रूघाराम	कृषि	11–अ जवाहर नगर, जैसलमेर रोड, बीकानेर	सदस्य
6	सुश्री इन्द्रा भादू पुत्री श्री रामलाल भादू	छात्रा	11–अ जवाहर नगर,डूडी पेट्रोल पम्प, बीकानेर	सदस्य
7	श्री अतुल डूडी पुत्र श्री भगवानाराम डूडी	कृषि	सी–41 वैध मघाराम कॉलोनी, बीकानेर	सदस्य

CENTRAL NOTARY GOVT. OF INDIA
Advocate
Brij Mohan Jakhar
BIKANER
Regd. 447

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

Dinesh	Pradeep	Prakash
अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्नप्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है।

क्र.सं.	नाम मय पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	श्री दिनेश पुत्र श्री रामलाल (अध्यक्ष)	निजी व्यवसाय	11–अ जवाहर नगर, जैसलमेर रोड,बीकानेर	Dinesh
2	श्री बाबुलाल कस्वां पुत्र श्री गणपतराम कस्वां (उपाध्यक्ष)	निजी व्यवसाय	डूडी पेट्रोल पम्प के पीछे बंगला नगर, बीकानेर	Babulal
3	श्री प्रदीप कस्वां पुत्र श्री गणपतराम कस्वां (मंत्री)	निजी व्यवसाय	डूडी पेट्रोल पम्प के पीछे बंगला नगर,बीकानेर	[signature]
4	श्री प्रकाश पुत्र श्री रामदयाल (कोषाध्यक्ष)	निजी व्यवसाय	11–अ जवाहर नगर, जैसलमेर रोड,बीकानेर	Prakash
5	श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री रुधाराम	कृषि	11–अ जवाहर नगर, जैसलमेर रोड,बीकानेर	[signature]
6	सुश्री इन्दा भादू पुत्री श्री रामलाल भादू	डॉक्टर (निजी व्यवसाय)	11–अ जवाहर नगर,डूडी पेट्रोल पम्प ,बीकानेर	Indu
7	श्री अतुल डूडी पुत्र श्री भगवानाराम डूडी	कृषि	सी–41 वैध मघाराम कॉलोनी,बीकानेर	[signature]
8	श्री शरद कुमार पुत्र श्री बजरंगलाल झाबक	निजी व्यवसाय	गुजरों की मस्जिद के पास बागडी मोहल्ला गोगागेट, बीकानेर	शरद कुमार झाबक
9	श्री प्रेमरतन जाट पुत्र श्री बी.डी. चौधरी	निजी व्यवसाय	पारिक चौक, बीकानेर	[signature]
10	श्री गोपालराम पुत्र श्री हरिराम	कृषि	ग्राम–सुडसर, जिला बीकानेर	गोपालराम
11	श्री गुमानसिंह भाटी पुत्र श्री नखतसिंह	कृषि	धावडियों का मोहल्ला बलाला, त0कोलायत, जिला बीकानेर	गुमानसिंह

CENTRAL NOTARY Advocate Brij Mohan Jakhar BIKANER Regd. 447 GOVT OF INDIA

ATTESTED CENTRAL NOTARY BIKANER (RAJ.) INDIA

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर

नाम:

व्यवसाय: केमिस्ट

पूर्ण पता:

2. हस्ताक्षर

नाम:

व्यवसाय:

पूर्ण पता: बीकानेर

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

क्रं. 132/बी/2011-12

संस्था को:

जिला:

हस्ताक्षर: 13

दिनांक: 26/5/2011

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं, बीकानेर

रजिस्ट्रार संस्थाएं
बीकानेर

Identified by

CENTRAL NOTARY
Advocate
VIJAY KUMAR MEHTA
BIKANER
Regd. 1568
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA
07/06/2011

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्यप्रति है तक
हस्ताक्षर पढ़ने वाले के ....
हस्ताक्षर सुनने वाले के ....
नकल हेतु प्रार्थना पत्र की तिथि 17/10/11
नकल तैयार करने की तिथि 17/10/11
नकल देय की दिनांक 17/10/11

रजिस्ट्रार संस्थाएं
बीकानेर

CENTRAL NOTARY
Advocate
Brij Mohan Jakhar
BIKANER
Regd. 447
GOVT. OF INDIA

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

विधान (नियमावली)

1.	संस्था का नाम:-	श्री रुधाराम भादू मेमोरियल एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी
2.	पंजीकृत कार्यालय व कार्यक्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 11-ए जवाहर नगर, बीकानेर जिला बीकानेर में रहेगा और इसकी शाखाएं बीकानेर में कहीं भी उपयुक्त स्थानों पर स्थापित और संचालित की जा सकेगी इस संस्था का कार्यक्षेत्र बीकानेर रहेगा।
3.	संस्था के उददेश्य	इस संस्था के निम्नांकित उद्देश्य होंगे।

1. इस संस्था का मुख्य उददेश्य ज्ञान प्रसार है जिससे कि चरित्र निर्माण द्वारा न्यायप्रिय, निर्भय, स्वस्थ एवं प्रगतिशील नागरिक तैयार होवें तथा उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जावे जिससे कि वे आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन सुखमय बनावें तथा मानव कल्याण की और उन्मुख हो।

2. इस हेतु महाविद्यालय, विद्यालय, बहुउददेश्य विद्यालय, बैसिक विधालय, छात्रालय, पुस्तकालय, इत्यादि संस्थाओं का निर्माण करना।
3. जन-साधारण के हितार्थ पाठ्य पुस्तके तथा अन्य पुस्तके पत्रिकाऐं, परिपत्र आदि तथा अन्य नैतिक, दार्शनिक, औधोगिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक ,पुरात्तात्विक, यांत्रिक, सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक साहित्य, ज्ञान प्रसार हेतु प्रकाशित करना तथा शोध, अध्ययन एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।
4. संस्था अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु शैक्षणिक, वैज्ञानिक तकनीकी एवं औधोगिक प्रशिक्षण कक्षाऐं चलाना और हिन्दी, अंग्रेजी एवं संस्कृत माध्यम द्वारा शिक्षा प्रदान करना। जिसमें ग्रामीण, पिछड़े अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होनहार प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए विभिन्न विषयान्तर्गत जैसे कला, वाणिज्य, खनिज, विज्ञान, कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की शैक्षणिक सुविधा प्रदान करने और प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की प्राथमिक तैयारी करवाकर परीक्षा में बैठाने की पूर्ण व्यवस्था कर स्वंय को स्वावलंबी बनाने का सुअवसर प्रदान करेगी। इसके लिये संस्था द्वारा एक या अधिक संस्थानों का संचालन करना जो संस्था के उददेश्यों की पूर्ति करेंगे।
5. सभी जाति, ग्रामीण पिछड़े वर्गों के छात्र--छात्राओं के लिए:-
   (अ) छात्रावास का संचालन करना।
   (ब) छात्रवृत्तियां दिलाना व लेने के लिए प्रेरित करना।
   (स) स्वरोजगार दिलाने या प्रेरित करने का प्रयास करना।
   (द) उचित शिक्षा व प्रतिस्पर्धा परीक्षा दिलवाने व मार्गदर्शन, विद्यार्थीयों के लिए वाचनालय, पुस्तकालय खुलवाना व संचालन करना, प्रयोगशाला व अन्य विषयों की तैयारी करवाने व परीक्षाओं में बैठाने की समयानुसार व्यवस्था करना।
6. स्वच्छ एवं स्वस्थ मनोरंजन एवं स्वास्थ्य हेतु मनोरंजन केन्द्र, क्रीड़ा, प्रशिक्षण केन्द्र, व्यायामशाला, खेलकूद प्रतियोगिता केन्द्र का संचालन कर समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करना तथा इनके वांछित विकास हेतु विचार गोष्ठी, वाद-विवाद, लेख प्रवृतियां, भ्रमण, प्रदर्शन, श्रवण, दृष्य, प्रत्यक्ष कार्यानुभव करना व संचालन करना

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

तथा कला व साहित्य का संगम समन्वय एवं लाभान्वित करना संस्था का उद्देश्य रहेगा। इस प्रकार संस्था ग्रामीण पिछड़े, कमजोर एवं वांछितों को उक्त प्रकार लाभान्वित कर उनके अच्छे स्वास्थ्य और मनोरंजन की व्यवस्था करेगी।

7. चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना एवं अन्य सभी कार्य जो संस्था जनहित व पिछड़े वर्ग के हित के लिए उपयुक्त समझती व बिना आयु ,वर्ग ,लिंग, जाति के करा सकेगी।

8. समाज के सभी वर्गों को चिकित्सा सुविधा देना इसके लिये अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल कैम्प एवं शारीरिक, मानसिक शिक्षा हेतु व्यवस्था करके संचालन करना।

9. बालिकाओं व महिलाओं को कुशल गृहिणी तथा उद्बुद्ध नागरिक बनाने के लिए स्त्रियोचित शिक्षा का प्रबन्ध करना, तत् संबंधी शिक्षा देना।

10. योग्य, प्रतिभाशाली विद्यार्थीयों को उच्च शिक्षा, देश–विदेश में जाकर प्राप्त करने हेतु हर प्रकार का आर्थिक सहयोग देना।

11. संस्था उदेश्यों की प्राप्ति हेतु कोई भी सहायता किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति संस्था/सरकार/एजेन्सी/विदेशी संस्था/सरकार इत्यादि से प्राप्त कर सकेगी।

12. संस्था उदेश्यों की प्राप्ति हेतु कोई भी चल/अचल संपति अपने नाम से खरीद सकती है, दान में प्राप्त कर सकती है, किराये पर ले सकती है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

4.सदस्यता:– निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगें।

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हो।
3. पागल, दिवालिए न हो।
4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हो।
5. संस्था के हितो को सर्वोपरि समझते हो।

5.सदस्यों का वर्गीकरण:–

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:–

1. संरक्षक
2. विशिष्ट
3. सम्माननीय
4. साधारण

संरक्षक सदस्य	वे सभी व्यक्ति जिन्होंने संस्था के विधान एवं नियमावली को हस्ताक्षरित एवं अनुमोदित किया है वे संरक्षक सदस्य कहलायेंगे।
विशिष्ट सदस्य	वे सभी व्यक्ति जो 1000 रू. वार्षिक देंगे व विशिष्ट सदस्य कहलाएंगे।
सम्माननीय सदस्य	वे सदस्य जो संस्था की महान सेवा करते रहे है या करेंगे तथा जो अपनी विद्या, बुद्धि या किसी अन्य कारण से प्रसिद्ध हो तथा जिनका सहयोग संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में हितकर हो, प्रबंध समिति द्वारा संस्था के माननीय सदस्य बनाये जा सकेंगे। ऐसे सदस्यों को मत्ताधिकार नहीं होगा।
साधारण सदस्य	वे सभी व्यक्ति जो 100 रू. वार्षिक देंगे वे साधारण सदस्य कहलाएंगे।

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

6. <u>सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा:-</u>

	राशि	वार्षिक / आजन्म
संरक्षक		–
विशिष्ट	1000/-	वार्षिक
सम्मानीय		–
साधारण	100/-	वार्षिक

राशि एक मुश्त अथवा 100 रू० मासिक के हिसाब से जमा कराई जा सकती है।

7. <u>सदस्यता से निष्कासन:-</u>

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:-

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों से विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8. <u>साधारण सभा:-</u>

संस्था के उपनियम 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगें।

9. <u>साधारण सभा के अधिकारी और कर्तव्य:-</u>

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होगे:-

(1) प्रबन्धकारिणी का चुनाव करवाना।

(2) वार्षिक बजट पारित करना।

(3) प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना, पुष्टी करना।

(4) संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)

10. <u>साधारण सभा की बैठकें:-</u>

(1) साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा भी बुलाई जा सकेगी।

(2) साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 भाग होगा।

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

(3) बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।

(4) कोरम की कमी में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन बिचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व के ऐजेन्डा में थे।

(5) संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें मे से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त सदस्यों में से कोई भी सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. <u>कार्यकारिणी का गठनः–</u>

संस्था के सुचारू संचालन तथा सुव्यवस्था के लिये प्रबंधकारिणी होगी।

1. प्रबंधकारिणी के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

(1) अध्यक्ष
(2) उपाध्यक्ष
(3) मंत्री
(4) कोषाध्यक्ष

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 4 पदाधिकारी व 3 सदस्य कुल 7 सदस्य होंगे।

12. <u>कार्यकारिणी का निर्वाचनः–</u>

(1) संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा।
(2) चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होगा।
(3) चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. <u>कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्यः–</u>

(1) सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
(2) वार्षिक बजट तैयार करना।
(3) संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।
(4) वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके लिए भत्तों का निर्धारण करना एवं सेवामुक्त करना।
(5) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों का क्रियान्वियन करना।
(6) कार्य व्यवस्था हेतु उप–समितियां बनाना।
(7) अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

14. कार्यकारिणी की बैठकें:–

(1) कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम पांच बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा भी बुलाई जा सकेगी।

(2) बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

(3) बैठक की सूचना ... दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

(4) कोरम की अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दुसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व के ऐजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारीयों की उपस्थिति अनिवार्य होगी इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी सभा में कराना आवश्यक होगा।

15.प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य:–

अध्यक्ष–

(1) इस पद पर आसीन होने के कारण वह संस्था की प्रत्येक बैठक का सभापतित्व करेगा।

(2) प्रबंधकारिणी एवं अन्य समितियों के सारे सदस्य उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। वह हमेशा संस्था के मामलों का सावधानी से प्रबंध करेगा तथा संस्था की उन्नति एवं सुरक्षा की देखभाल करेगा। वह संस्था की उन्नति एवं सुरक्षा की देखभाल करेगा। वह संस्था के सारे कार्यों को नियम के अनुसार चलायेगा तथा स्वंय भी नियमों का पालना करेगा।

(3) अध्यक्ष नियमों तथा उपनियमों का स्पष्टीकरण करेगा तथा मत भिन्नता होने पर अपनी अंतिम व्यवस्था करेगा।

(4) दो विपरीत पक्षों में समान मत होने पर अध्यक्ष को अपने मत के अतिरिक्त निर्णायक मत दने का अधिकार होगा।

(5) अध्यक्ष का यह अधिकार होगी कि वह अन्य पदाधिकारियों को उचित निर्देश दे और उसके अनुसार पदाधिकारीयों को कार्य करना आवश्यक होगा।

उपाध्यक्ष–

(1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसका प्रतिनिधित्व करेगा। उसको अध्यक्ष के सारे अधिकार होंगे।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

CENTRAL NOTARY
Advocate
Brij Mohan Jakhar
BIKANER
GOVT. OF INDIA

(2) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति होने पर उस सभा का सभापति उपस्थित सदस्यों में से चुना जा सकेगा।

(3) प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

मंत्री–

(1) संस्था की तरफ से सारा पत्रव्यवहार करना तथा सारे पत्रों, रजिस्टरों तथा अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखना।

(2) समिति से पूर्व कार्यसूची (एजेन्डा) को उचित स्थिति में रखना तथा प्रस्तावों को समिति में पढ़ना ।

(3) प्रत्येक बैठक में समय पर पहुंचना तथा उपस्थित रहना तथा बैठक होने से पूर्व उसका प्रबंध करना।

(4) समिति की कार्यवाहियों को लिखना तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाना तथा मिनिट बुक में मिनिट लिखना तथा लिखवाना तथा उसकी पुष्टि मिटिंग में करवाना।

(5) प्रत्येक कानूनी कार्यवाही में संस्था का प्रतिनिधित्व करना तथा कार्य करना,विशिष्ट या साधारण अभिवक्ता नियुक्त करना या वापिस लेना, तथा वाद, लिखित वक्तव्य प्रार्थना–पत्र ,आवेदन पत्र तथा शपथ–पत्र, व अपिल पर संस्था की तरफ से स्वयं हस्ताक्षर करना। इन सारे कार्यों को यथासंभव प्रबंधकारिणी को सूचना देनी होगी।

(6) संस्था के चंदे तथा अन्य बाकी रकमों को एकत्रित करने का प्रबंध करके कोषाध्यक्ष के पास भेजना।

(7) बाहरी किसी भी व्यक्ति से व्यवहार के लिये, जब तक अन्यथा कार्यकारिणी द्वारा न निर्णय कर लिया गया हो, संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

(8) प्रबंधकारिणी द्वारा निर्दिष्ट कार्यो में रूपया खर्च करना स्वीकृति प्रबंधकारिणी से लेना तथा सारे बिल व वाउचरों पर हस्ताक्षर करना तथा जांच करना।

(9) संस्था के सभी कर्मचारियों का साधारण निरीक्षण रखना तथा संस्था के नियमों को कार्यान्वित करना।

(10) अवश्यकतानुसार मिटिंग बुलाना तथा ऐसी मिटिंगों की समय पर सूचना देना।

(11) वार्षिक रिपोर्ट बनवाकर छपवाना एंव आय–व्यय का बजट प्रस्तुत करना।

(12) संस्था के रोजमर्रा के कार्यों की देखभाल करना तथा साधारण कागजों पर आज्ञा देना।

कोषाध्यक्ष–

(1) संस्था की वार्षिक बैठक द्वारा स्वीकृत आय व्यय का तथा मंत्री के वाउचरों व बिलों का नियमित हिसाब रखना व भुगतान करवाना। साधारणतः स्वीकृत बजट से अधिक व्यय कोषाध्यक्ष नहीं करने देगा प्रबंधकारिणी के निर्देशानुसार खर्च कर सकेगा।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

(2) प्रबंधकारिणी के समक्ष वर्ष के अन्त में संस्था के आय–व्यय का आंकड़ा प्रस्तुत करना। प्रबंध समिति की मंजूरी हो जाने के बाद वह उसे ऑडिट करने के लिए ऑडिटर के पास भेजेगा ।

(3) सामान्यतः रुपयों का प्रत्यक्ष रोकड़ नहीं रखकर बैंक में रखेगा तथा रूपया बजट के अनुसार निकालेगा। जो रकम जमा होगी उसकी रसीद देगा।

स्टाम्प, बैंक, सिक्यूरिटी, पट्टे, अन्य सेविंगस सर्टिफिकेट या अन्य कोई बहुमूल्य दस्तावेजों की देखभाल रखेगा, सदस्यों से चन्दा प्राप्त करेगा, तत्संबंधी बिल व रसीद बनाकर भेजेगा।

(5) वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।

(6) चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

(7) अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. <u>संस्था का कोष:–</u>

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा।

1– चन्दा
2– शुल्क
3– अनुदान
4– सहायता
5– राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।
2. अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष से किन्हीं दो पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षारों से बैंक से लेन–देन संभव होगा।

17. <u>कोष संबंधित विशेषाधिकार:–</u>

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1. अध्यक्ष 10000 रु (दस हजार रुपये)
2. मंत्री 10,000 रु (दस हजार रुपये)
3. कोषाध्यक्ष 5,000 रु (पांच हजार रुपये)

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जाऐगी।

18. <u>संस्था का अंकेक्षण:–</u>

(1) संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

19. <u>संस्था के विधान में परिवर्तन:–</u>

संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
INDIA

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

20. संस्था का विघटन:–

यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुसार होगी।

21. संस्था के लेखो–जोखो का निरीक्षण:–

रजिस्ट्रार संस्थाएं बीकानेर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) समिति/सोसायटी/संस्थान, संस्था की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

संस्था का पंजीयन क्रमांक 13/बी/2011-12

संस्था का नाम श्री ... आदर्श मेमोरियल एजुकेशन ... बीकानेर

फिरम ...

दस्तावेजो ... 13

दिनांक पंजीयन, 26/7/2011

कार्यालय रजिस्ट्रार ...

रजि.

बीका..

L.

यह प्रमाणित किया ... सत्यप्रति है कि

हस्ताक्षर पढ़ने वाले के ....

हस्ताक्षर सुनने वाले के ....

नकल हेतु प्रार्थना पत्र ... की तिथि ..17.10.11

नकल तैयार करने की तिथि........17.10.11

नकल देय की दिनांक 17.10.11

रजिस्ट्रार संस्थाएं
बीकानेर

CENTRAL NOTARY
Advocate
Brij Mohan ...
BIKANER
Regn. No. ...471
Exp. ...-2020
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

पंजीकरण संख्या–132/बीकानेर/2011–12

संस्था का नाम– श्रीरुघाराम भादू मेमोरियल एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी बीकानेर

तुलनात्मक स्टेटमेंट (संशोधन) आम सभा दिनांक 28.1.20

क्र. सं.	संघ विधान पत्र/विधान की संख्या	पंजीकृत संघ विधान–पत्र/विधान नियमावली के नियम में पूर्व प्रावधान	पंजीकृत संघ विधान–पत्र/विधान नियमावली में संशोधित किया गया नया प्रावधान
1	विधान नियमावली संख्या 11	संस्था के सुचारु संचालन तथा सुव्यवस्था के लिए प्रबंधकारिणी होगी– 1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. मंत्री 4. कोषाध्यक्ष इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 पदाधिकारी व 3 सदस्य कुल 7 सदस्य होंगे।	संस्था के सुचारु संचालन तथा सुव्यवस्था के लिए प्रबंधकारिणी होगी– 1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. मंत्री 4. कोषाध्यक्ष इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 पदाधिकारी व 11 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।
2	विधान नियमावली संख्या 12.1	12.1 संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा।	12.1 संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जाएगा। 18/3/2020

अध्यक्ष
PRESIDENT
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial Education And Welfare Society
BIKANER

मंत्री
SECRETARY
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial Education And Welfare Society
BIKANER

कोषाध्यक्ष
TREASURER
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial Education And Welfare Society
BIKANER

TREASURER
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial Education And Welfare Society
BIKANER

CENTRAL NOTARY
Advocate
Brijmohan Jakhar
BIKANER
Regd. No.-471
Exp. 21-8-2017
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

पंजीकरण संख्या–132/बीकानेर/2011–12

संस्था का नाम– श्रीरूघाराम भादू मेमोरियल एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी बीकानेर

नव गठित कार्यकारिणी सूची दिनांक 15.03.2020

क.सं.	नाम व पिता/पति का नाम	व्यवसाय	पता	पद
1	श्री दिनेश भादू / रामलाल भादू	निजी व्यवसाय	11 अ जवाहर नगर बीकानेर	अध्यक्ष
2	श्री प्रकाश / रामदयाल	निजी व्यवसाय	11 अ जवाहर नगर बीकानेर	मंत्री
3	श्री प्रदीप कस्वां / गणपतराम कस्वां	निजी व्यवसाय	सूडी पेट्रोल पम्प के पीछे बंगला नगर बीकानेर	उपाध्यक्ष
4	मुकेश भादू / रामेश्वरलाल भादू	शिक्षा	11 अ जवाहर नगर बीकानेर	कोषाध्यक्ष
5	श्री रामेश्वरलाल / रूघाराम	कृषि	11 अ जवाहर नगर बीकानेर	सदस्य
6	सुश्री इन्द्रा भादू / रामलाल	छात्रा	11 अ जवाहर नगर बीकानेर	सदस्य
7	सुनीता सहारण / बलबन्त सहारण	शिक्षक	बीकानेर	सदस्य
08	श्री शरद कुमार / बजरंग लाल झाबक	निजी व्यवसाय	गुजरों की मस्जिद के पास बांगडी मोहल्ला गोगागेट बीकानेर	सदस्य
9	सिकन्दर / गुलाम रसूल	फार्मासिस्ट	शेरूणा बीकानेर	सदस्य
10	सुलेमान / गुलाम रसूल	कृषि	शेरूणा बीकानेर	सदस्य
11	मो0 हारूण रसीद / मो0 सफी	फार्मासिस्ट	फड़बाजार बीकानेर	सदस्य
12	मोनिका सहारण / बलबन्त सहारण	शिक्षिका	लूनकरणसर बीकानेर	सदस्य
13	सरोज भादू / रामदयाल	इंजिनियर	जवाहर नगर बीकानेर	सदस्य
14	शहनाज बानो / सैयद मो0 अब्दुल्ला	गृहणी	[illegible]	सदस्य
15	रामदयाल / [illegible]	[illegible]	जवाहर नगर बीकानेर	सदस्य

यह दस्तावेज [illegible] की पत्रावली में दिनांक [illegible] को सम्मिलित किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाऐं
बीकानेर

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (RAJ.)
INDIA

CENTRAL NOTARY
Advocate
Brij Mohan Jakhar
BIKANER

अध्यक्ष
PRESIDENT
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER

मंत्री
SECRETARY
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER

कोषाध्यक्ष
TREASURER
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER

PRESIDENT
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER

SECRETARY
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER

TREASURER
Shri Rugha Ram Bhadu Memorial
Education And Welfare Society
BIKANER